न्यायालय-ए०के०गुप्ता,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

<u>आपराधिक प्रक0क्र0</u>-392 / 2012

संस्थित दिनाँक-14.06.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मालनपुर

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- 1. रामपाल पुत्र सरदारसिंह तोमर उम्र 64 साल
- सुधीरसिंह पुत्र रामपालसिंह तोमर उम्र 36 साल निवासीगण ग्राम तुकेंडा थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्तगण

<u> –:: निर्णय ::–</u>

{आज दिनांक 31.05.18 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 294, 323/34, 324, 324/34, 325/34, 506बी के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 14.05.12 को 8:30 बजे या उसके लगभग ग्राम तुकेंडा अंतर्गत थाना मालनपुर स्थित फरियादी मुरारी के घर के पिछवाडे अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी मुन्नी एवं हरनामसिंह एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया, फरियादी मुरारी, हरनाम व मुन्नी को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में लादियों से मारपीट कर तीनों को स्वेच्छा उपहित कारित की, हरनाम की लादियों से मारपीट कर उसका अस्थिमंग कारित कर स्वेच्छा घोर उपहित कारित की, सुधीर ने हरनाम को पीठ में दांतों से काटकर स्वेच्छा उपहित कारित की तथा तीनों आहतगण को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी मुरारी तोमर के घर के पिछवाडे बबूल का पेड खड़ा है। दिनांक 14.05.12 को सुबह करीब 8:30 बजे अभियुक्त रामपाल व सुधीर उक्त पेड को काट रहे थे। जब फरियादी ने मना किया तो उसे मां बहन की गालियां देने लगे। गाली देने से मना करने पर रामपाल ने लाठी मारी जो मुरारी को माथे में लगी और खून निकल आया। सुधीर तोमर ने लाठी मारी जो भामी मुन्नी के सिर में लगी, खून निकल आया। हरनाम बचाने आया तो उसे

सुधीर ने दांत से काट लिया और जान से मारने की धमकी दी। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क० 67/12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

- 3. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूंटा फंसाया जाना बताया।
- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं
 - 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 14.05.12 को 8:30 बजे या उसके लगभग ग्राम तुकेंडा अंतर्गत थाना मालनपुर स्थित फरियादी मुरारी के घर के पिछवाडे अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी मुन्नी एवं हरनामसिंह एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया ?
 - 2. क्या उक्त दिनांक व समय पर आहत मुरारी व मुन्नी, हरनाम को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हॉ तो उनकी प्रकृति क्या थी ?
 - 3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी मुरारी एवं मुन्नी की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण लाठियों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छा उपहति कारित की ?
 - 4. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर हरनाम की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति, घोर उपहति तथा सुधीर द्वारा हरनाम को पीठ में काटकर स्वेच्छा उपहित की ?
 - 5. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में हरनामिसंह अ०सा० 1, कोकिसंह अ०सा० 2, मुरारीसिंह अ०सा० 3, मुन्नी उर्फ मंजू अ०सा० 4, डा० धीरज गुप्ता अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है, जबिक अभियुक्तगण की ओर से बचाव में रामपाल ब०सा० 1 तथा सुधीर ब०सा० 2 को परीक्षित कराया है।

//विचारणीय प्रश्न कमांक 2//

- 6. फरियादी मुरारीसिंह अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते है कि घटना चार साल एक महीने पहले सुबह 8:30 बजे की है। उनके घर के सामने खडे बबूल के पेड को आरोपीगण काट रहे थे। जब उसने काटने से रोका तो आरोपीगण उसे मां बहन की गालियां देने लगे, रोकने पर रामपाल ने लाठी मारी जो उसके सिर में लगी तथा सुधीर ने डण्डा, जूते मारे थे जो पीठ में लगना बताते हैं। घटना के संबंध में रिपोर्ट प्र0पी० 5 लिखाए जाने का कथन करते हुए उक्त रिपोर्ट में ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषितकर आहत मुन्नी एवं हरनाम के संबंध में पूछे जाने पर स्वीकार करते हैं कि मुन्नीबाई को सुधीर ने डण्डा मारा था और सुधीर ने ही हरनाम को पीठ में काट लिया था। आहत मुन्नी अ०सा० 4 कथन करती हैं कि मुरारी के घर के सामने लगे बबूल को अभियुक्तगण काट रहे थे। जब मुरारी ने रोका तो रामपाल ने लाठी मारी जो मुरारी के सिर में लगी। वह बचाने गयी तो सुधीर ने एक लाठी उसे मारी जो दाहिनी तरफ सिर में लगी। सूचक प्रश्न में आहत हरनाम को पीठ में काट लेने का कथन करते हैं। हरनाम अ०सा० 1 पूर्णतः पक्षविरोधी हो गया है और वह अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता।
- 7. प्रकरण में डा० धीरज गुप्ता अ०सा० 5 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि उन्होंने दिनांक 14.05.12 को आहत मुरारीसिह, मुन्नीबाई पत्नी रामवीर तथा हरनाम पुत्र रामवीर का चिकित्सीय परीक्षण किया था। चिकित्सीय परीक्षण में आहत मुरारी को कटा फटा घाव बांयी तरफ फंटापैराईटल भाग में सिर में था, जो लंबबत था, आकार 4 गुणा 1 गुणा 1 सेमी० था। चोट की अवधि 24 घण्टे के भीतर की थी, कठोर व भौथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। आहत मुन्नीबाई को चिकित्सीय परीक्षण में एक कटा फटा घाव दाहिनी तरफ फंटोपैराईटल रीजन में था आकार 4 गुणा 1 गुणा 1 सेमी० था। एक गूमरा जो कि टैम्पो मेंडीबुलर ज्वाइंट पर था, आकार 4 गुणा 4 सेमी० था, उसके एक्सरे की सलाह दी। उक्त चोट सख्त व भौथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। आहत हरनाम को चिकित्सीय परीक्षण करने पर तीन चोटें पाई थी—
 - 1-कंटूजन दाहिने हाथ के अंगूठे पर आकार 2 गुणा 1 सेमी0, एक्सरे की सलाह दी।
 - 2-कंट्रजन बांयी जांघ पर आकार 3 गुणा 3 सेमी0 का था
 - 3-खरोंच स्केपुला पर थी जिसका आकार 3 गुणा 3 सेमी0 का था।

सभी चोटें 24 घण्टे के अंदर आना प्रतीत हो रही थी। आहत हरनाम का एक्सरे कराने पर दाहिने हाथ की उंगलियों के बीच अस्थिभंग पाया था। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट क्रमशः प्र0पी0 5, 6 व 7 तथा आहत हरनाम की एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 9 बताकर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार करते हैं। 8. प्रकरण में आहत हरनाम अ०सा० 1 जिसे चिकित्सक द्वारा अस्थिभंग कारित होने के संबंध में कथन किया गया है, वह अपने अभिसाक्ष्य में कोई भी झगडा होना अस्वीकार करता है। फरियादी मुरारी अ०सा० 3 एवं मुन्नी उर्फ मंजू अ०सा० 4 भी आहत हरनाम को दाहिने हाथ में कैसे चोट आई, इस संबंध में कोई कथन नहीं करते हैं, मात्र पीठ में काटने की चोट आना बताते हैं, जबिक चिकित्सक ने पीठ में काटने की कोई चोट नहीं बताई है। आहत मुरारी तथा मंजू को सिर में चोट होने के संबंध में साक्षियों के अभिसाक्ष्य में कथन किया गया है जो कि चिकित्सीय अभिमत से समर्थित है। उक्त साक्षियों को चोटें किस प्रकार कारित हुई इस संबंध में अभियुक्तगण की ओर से चुनौती नहीं दी गयी है। चिकित्सक को आहतगण के चोटें तेज गित से कडी सतह पर रपट कर गिरने से आना संभव होने का सुझाव दिया है, जिसके संबंध में चिकित्सक ने संभावना को स्वीकार किया है। किन्तु आहतगण को स्वयं इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिया गया है। ऐसे में अभिसाक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 14.05.12 को आहत मुरारी एवं मुन्नी को चोटें मौजूद थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना हैं कि क्या उक्त चोटे अभियुक्तगण द्वारा या उनमें से किसी ने स्वेच्छा कारित की थी ?

//विचारणीय प्रश्न कमांक 3//

- 9. फरियादी मुरारी अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उनके घर के सामने लगे बबूल के पेड को अभियुक्तगण काट रहे थे और उसने मना किया तो रामपाल ने उसे लाठी मारी तथा सुधीर ने डण्डा व जूते चप्पल मारे, साथ ही आहत मुन्नीबाई बीच बचाव करने आइ तो उसे भी सुधीर ने सिर में मारा। इस प्रकार से घटना का कारण बबूल काटने से रोकने का बताया गाय है। प्रतिपरीक्षण में मुरारी रिपोर्ट में घटनास्थल घर के सामने का होना बताते हैं। प्र0पी० 5 की रिपोर्ट में घर के पीछे बबूल का पेड होना उल्लेखित है। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में स्वीकार करते हैं कि शक्तुंतला पत्नी रामपाल की रिपोर्ट से उसके विरूद्ध मामला चल रहा है। मंजू अ०सा० 4 भी घटना का कारण बबूल का पेड काटना बताती हैं। प्रतिपरीक्षण में उनकी साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने हेतु कोई भी सुदृढ़ आधार नही हैं। अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में प्र0डी० 1 की प्राथमिकी प्रस्तुत की है जिसमें आहतगण मुरारी व मंजू अभियुक्त है, किन्तु उनके अभियुक्त मात्र हो जाने से अभियोजन का मामला संदिग्ध नही हो जाता है, जब तक कि प्रतिपरीक्षण में उक्त आहतगण के संबंध में चोटों का कोई स्पष्टीकरण न दिया गया हो।
- 10. अभियुक्तगण की ओर से बचाव लिया गया है कि अभियुक्त मुरारी एवं मंजू ने उनकी मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में रामपाल ब0सा0 1 स्वीकार करते हैं कि झगड़े में हरनामिसंह, मुन्नी उर्फ मंजू पत्नी रामवीर तथा मुरारीसिंह को चोटें आने का कथन प्र0क0 338/12 में किया था। उक्त आहतगण को चोटें आने के संबंध में स्पष्टीकरण देते हैं कि बचाव में चोटें आई

थी। कथित प्रति प्रकरण के तथ्यों को इस मामले में अभियुक्तगण की ओर से प्रमाणित नहीं किया गया है, मात्र प्राथमिकी प्रस्तुत कर देने से आहत मुरारी एवं मुन्नी उर्फ मंजू को आई चोटें संदिग्ध नहीं हो जाती हैं। आहतगण की चोटें अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छा कारित करने का तथ्य अभिलेख पर स्पष्ट रूप से प्रमाणित है।

//विचारणीय प्रश्न कमांक 4//

11. फरियादी मुरारी अ०सा० 3 एवं आहत मंजू अ०सा० 4 दोनों ही अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि हरनाम बचाने आया था तो उसे सुधीर ने पीठ में काट लिया था। सर्वप्रथम तो हरनाम ने उसे चोटे कारित होने का कोई भी कथन नहीं किया गया है। साथ ही चिकित्सक डा० धीरज गुप्ता अ०सा० 5 ने भी हरनाम को कोई दांत से काटने की चोट परीक्षण में नहीं पाई है। ऐसे में सहिता की धारा 324 के आरोप अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित नहीं हैं। जहां तक आहत हरनाम के अस्थिमंग का प्रश्न हैं तो न तो मौखिक साक्ष्य और न हीं प्र०पी० 5 की प्राथमिकी में हरनाम को दाहिने हाथ के अंगूठे में किस प्रकार से चोट कारित हुई, इसका उल्लेख किया गया है। आहत हरनाम को सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसने अभियुक्तगण द्वारा उसकी मारपीट करने के संबंध में इंकार किया है। ऐसी दशा में आहत हरनाम के संबंध में आरोप के बारे में कोई सारवान साक्ष्य नहीं पाई जाती है।

//विचारणीय प्रश्न कमांक 1 //

12. फरियादी मुरारी अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में पेड काटने से रोकने पर मां बहन की गालियां अभियुक्तगण द्वारा दिए जाने का कथन करते हैं। सर्वप्रथम तो यह स्पष्ट नहीं करते कि किस अभियुक्त ने कौनसी गाली दी थी, साथ ही अभिकथित गाली से सुनकर उसे कोई क्षोभकारित हुआ हो, ऐसा भी कथन नहीं किया गया है। मुन्नी उर्फ मंजू अ0सा0 4 अभियुक्तगण द्वारा पेड काटने से रोकने पर मुंहवाद का कथन किया है, किसी प्रकार की गाली गलौंच या अश्लील शब्दों के उच्चारण का कथन नहीं किया है। संहिता की धारा 294 के अपराध को प्रमाणित करने के लिए सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्दों अथवा गालियों का उच्चारण एवं कथित अश्लील शब्द व गाली से क्षोभकारित होने के संबंध में सारवान साक्ष्य होना आवश्यक है। अतः धारा 294 का आरोप अप्रमाणित है।

/ / <u>विचारणीय प्रश्न कमांक 5</u> / /

13. फरियादी मुरारी अ०सा० 3 अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार की धमकी देने का कोई स्वाभाविक कथन नहीं करता। अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर कथित धमकी दिए जाने का कथन करता है। मंजू उर्फ मुन्नी अ०सा० 4 भी सूचक प्रश्न

में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय आईदा बबूल के पेड काटने पर जान से खत्म कर देने की धमकी दिए जाने का कथन करती हैं। सर्वप्रथम तो दोनों साक्षियों ने स्पष्ट नहीं किया कि किस व्यक्ति ने किन शब्दों में धमकी दी, कथित धमकी से उसे भय अथवा संत्रास कारित हुआ हो, ऐसा भी कथन नहीं किया गया है। जहां एक ओर कथित धमकी के संबंध में स्वाभाविक कथन नहीं किया गया है, वहीं दूसरी ओर प्रपीо 5 की प्राथमिकी स्वाभाविक रूप से घटना के तुरंत पश्चात् अविलंब की गयी है। इस प्रकार से भय अथवा संत्रास के कारण फरियादी अथवा साक्षी के द्वारा अपने वैधानिक अधिकार के कियान्वयन में विलंब कारित किया हो, ऐसा अभिलेख पर नहीं हैं। अतः संहिता की धारा 506 भाग दो के आरोप के संबंध में भी तथ्य प्रमाणित नहीं हैं।

- 14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य अंशतः प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 14.05.12 को सुबह करीब 8:30 बजे फरियादी मुरारी के घर के पिछवाडे उसे उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर अभियुक्तगण ने उसे एवं बचाने आई आहत मुन्नी की स्वेच्छा मारपीट कर उन्हें उपहित कारित की। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 323 सहपिटत धारा 34, दो काउण्ट का अपराध प्रमाणित होने से उक्त धारा के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण को संहिता की धारा 294, 324, 325 व 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 15. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।
- 16. अभियुक्तगण के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्ववान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थिगत किया जाता है।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

पुनश्चः

- 17. अभियुक्तगण एवं उनके विद्ववान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्तगण के पिता पुत्र होने के आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।
- 18. अभियुक्तगण का पिता पुत्र होना अभिलेख पर है, अभियुक्त रामपाल वरिष्ट नागरिक की श्रेणी में आता है। आहतगण एवं अभियुक्तगण एक ही परिवार के हैं। उनके कठोरतम दण्ड से दिण्डित करने पर भविष्य में मधुर संबंधों की संभावना क्षीण हो जाएगी। प्रकरण 5 वर्ष से अधिक समय

से लंबित है। आहतगण को चोटें साधारण प्रकृति की प्रमाणित हुई हैं। ऐसी दशा में अभियुक्तगण को कठोरतम दण्ड से दण्डित न करते हुए शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किए जाने पर न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होना संभव है। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 323 सहपठित धारा 34 दो काउण्ट के अधीन न्यायालय उठने तक की अवधि की दाण्डाज्ञा व प्रत्येक काउण्ट के लिए 750–750 रूपये अर्थात प्रत्येक अभियुक्त पर कुल 1500–1500 रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को 15-15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

- प्रकरण में जब्त शुदा संपत्ति कुछ नहीं। 19.
- निर्णय की एक-एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।
- अभियुक्त की निरोधावधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी ALITHER A PROPERTY AND A PROPERTY AND ASSESSED AS A PROPERTY OF THE PROPERTY O गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश